प्रेषक,

सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

सेवा में,

समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः बे0शि0प0/ 10009-10100 /2023-24 दिनांक - 06.06.2023

विषयः—उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0/193-272/2023-24 दिनांक 03.04.2023, पत्रांक बे0शि0प0/9378-9549/2023-24 दिनांक 01.06.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-68-5099/81/2022-5 दिनाक 20.01.2023 के अनुपालन में उ0प्र0, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक अन्तःजनपदीय स्थानान्तरण के निर्देश दिये गये है। बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के पत्रांक बे0शि0प0/2171-2343/2023-24 दिनांक 25.04.2023 द्वारा अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया के पूर्व मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण को अद्यावधिक किये जाने के निर्देश दिये गये है।

शासनादेश दिनांक 20.01.2023 के कम में पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण की कार्यवाही निम्नवत की जायेगी—

1. परिषदीय विद्यालय में शिक्षकों के अन्तःजनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत समिति गठित होगी—

1— प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (सम्बन्धित जनपद)—	अध्यक्ष
2— जिला विद्यालय निरीक्षक (सम्बन्धित जनपद)—	सदस्य
3— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (सम्बन्धित जनपद)—	सदस्य सचिव
4— वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा) (सम्बन्धित जनपद)—	सदस्य

2. शिक्षकों के अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण एक शैक्षिक सत्र में 02 बार (ग्रीष्म अवकाश एवं शीत अवकाश के दौरान) किये जा सकेगें परन्तु शिक्षकों द्वारा शैक्षिक सत्र के दौरान ऑनलाइन आवेदन किसी भी समय किया जा सकता है।
3. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में अनुमन्य श्रेणी के मध्य होंगे।
4. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अनुमन्य श्रेणी—
   1— प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
   2— सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय।
   3— सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
   4— प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय।
5. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी अवशेष सेवावधि दिनांक 06.06.2023 को 05 वर्ष से अधिक है अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अर्ह होंगे।

<u>अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया के तकनीकी चरण—</u>

6. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु शिक्षक/शिक्षिका द्वारा **intradistricttransfer.upsdc.gov.in** पोर्टल पर मानव सम्पदा की आई0डी0 एवं मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित मोबाइल नम्बर को भरा जायेगा। वांछित विवरण को भरे जाने के उपरान्त उनके मोबाइल नम्बर पर **OTP (Onte Time Password)** प्राप्त होगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरान्त ही लॉगिन किया जा सकेगा।
7. लॉगिन किये जाने के उपरान्त सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के मानव सम्पदा पर अंकित विवरण प्रदर्शित होगा।

कटरा बाजार F84

8. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन दिये गये निर्देश के अनुसार भरा जायेगा। रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए शिक्षक/शिक्षिका स्वयं उत्तरदायी होंगे।

9. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा भरा गया रजिस्ट्रेशन पत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लॉगिन पर उपलब्ध रहेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन की कार्यवाही की जायेगी। सत्यापनोपरान्त सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन पत्र मान्य होगा।

10. रजिस्ट्रेशन पत्र के सत्यापन होने के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका द्वारा लॉगिन किये जाने पर जनपद के पात्र अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन का विवरण प्रदर्शित होगा।

11. शिक्षक/शिक्षिका जिसके साथ अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है उस शिक्षक/शिक्षिका का रजिस्ट्रेशन नम्बर डालने के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका जिसके साथ अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण किया जाना है के मोबाइल नम्बर पर **OTP (Onte Time Password)** प्राप्त होगा। शिक्षक/शिक्षिका द्वारा **OTP (Onte Time Password)** सम्बन्धित शिक्षक/शिक्षिका के साथ सांझा **(Share)** किया जायेगा जिसे निर्धारित स्थान पर भरे जाने के उपरान्त एक दूसरे शिक्षक/शिक्षिक का आवेदन पत्र अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण हेतु मान्य हो जायेगा।

12. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा विकसित पोर्टल पर विकसित अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण मॉड्यूल के अन्तर्गत ही स्वीकार किये जायेंगे। मैनुअल आवेदन पत्र (रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट, कोरियर, दस्ती आदि) स्वीकार नही किये जायेंगे।

13. अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के पश्चात शिक्षक/शिक्षिका एक दूसरे के कार्यरत विद्यालय में पदस्थापित किये जायेंगे।

शिक्षक/शिक्षिका द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के फर्जी/कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित शिक्षक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण प्रकिया के पश्चात बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिये गये निर्देशों के कम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार अग्रतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।

कटरा बाजार F84

पृ0सं0/ बे0शि0प0/10009-10100/2023-24 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

2- महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।

3- शिक्षा निदेशक बेसिक, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश दिनांक 20.01.2023 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

5- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।

6- समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(प्रताप सिंह बघेल)
सचिव,
उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद,
प्रयागराज।